

प्रतिलिपि पत्र संख्या-सम्ब० 617 / सत्तर-६- 2011-२ (३२०) / 2011 दिनांक 14सितम्बर, 2011 हारा
अनुसंचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-६, सत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसंचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज
विश्वविद्यालय, कानपुर ।

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक सी०ए०स०जे०ए०म०वि०वि० / सम्ब० / 1971 / 2011 दिनांक 28.7.2011
एवं पत्रांक सी०ए०स०जे०ए०म०वि०वि० / सम्ब० / 2326 / 2011 दिनांक 24.8.2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का
निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने ८०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश
राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा-३७(२) के अधीन श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय,
बिल्हौर, कानपुर नगर को स्नातक स्तर विषय संकाय के अन्तर्गत वी०का० पाठ्यक्रम में स्ववित्तपोषित
योजनान्तर्गत शैक्षिक सत्र 2010-11 के परीक्षाफल के अभाव में दिनांक 01.07.2011 से शैक्षिक सत्र
2011-12 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है--

1. शैक्षणिक सत्र 2010-11 का परीक्षाफल शासनादेश के अनुसार होने की स्थिति में सत्र 2011-12 के सम्बद्धता की स्थार्त पूर्वानुमति के प्रश्नगत आदेश को सम्बद्धता (स्थाई) की बिना किसी शर्त के पूर्वानुमति मानते हुए दिनांक 01.07.2011 से विश्वविद्यालय स्तर से सम्बद्धता (स्थाई) आदेश निर्गत किए जाएंगे तथा एतदविषयक आदेश की प्रति तत्समय शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा ।
2. संस्था शासनादेश संख्या-2851 / सत्तर-२-२००३-१६(९२) / 2002, दिनांक 02 जुलाई 2003 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी ।
3. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जाएगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।

छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर

दिनांक २६/११/११

सी०ए०स०जे०ए०म०वि०वि० / सम्ब० / ५१०५ / 2011

- प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-
1. अनुसंचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग-६, ८०प्र० शासन, लखनऊ को उपर्युक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 14सितम्बर, 2011 के अनुपालन में इस आशय से पृष्ठांकित है कि प्रश्नगत महाविद्यालय का ए० 2010-2011 का परीक्षाफल घोषित हो गया है जो कि शासन के मानकानुसार ६० प्रतिशत से अधिक है । अतः महाविद्यालय को वर्णित पाठ्यक्रम के विषयों में दिनांक 01.7.2011 से सम्बद्धता (स्थाई) प्रदान की जाती है ।
 2. प्रबन्धक / सचिव(प्रबन्ध समिति) श्री ठाकुर जी महाराज महाविद्यालय, बिल्हौर, कानपुर नगर को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश के उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन करना सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्रावार्य, शिक्षकों का अनुमोदन यन्त्र, नियुक्ति पत्र, ज्वानिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना एवं शासन के सम्बद्धता पत्र में इंगित कियों की पूर्ति समय-सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की अनुज्ञा वापस लिए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।
 3. सहायक कुलसंचिव(परीक्षा) सी०ए०स०जे०ए०म०वि०वि०वि०, कानपुर ।
 4. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी०ए०स०जे०ए०म०वि०वि०वि०, कानपुर ।
 5. सिस्टम मैनेजर, सी०ए०स०जे०ए०म०वि०वि०वि०वि०, कानपुर ।
 6. इंचार्ज, ई०डी०गी०सेन्टर, सी०ए०स०जे०ए०म०वि०वि०वि०वि०वि०, कानपुर ।

(संघट यकाच हस्ताना)

कुलसंचिव